

क्रमांक 3327034/छ.ग./2013/पार्ट-2
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ-भवन,
नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

दिनांक /03/2019

प्रति,

- मुख्य अभियंता,
1. महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
 2. महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
 3. हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर।
 4. हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
 5. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर।
 6. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।

विषय :- सहायक अभियंता (सि.) से कार्यपालन अभियंता (सि.) के पद पर पदोन्नति शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 01-02/31/स्था./2015 दिनांक 07.03.2019.

विषयांतर्गत कृपया शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। पदोन्नति शासनादेश की प्रति अधीनस्थ कार्यरत समस्त संबंधितों को सौंपकर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को तत्काल अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


अधीक्षक अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 15/03/2019

पृष्ठांकन क्रमांक 3327034/छ.ग./2013/पार्ट-2 14654
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संबंधित श्री
3. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मास्टर नस्ती।

की ओर शासनादेश की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र. 02 से 04 हेतु)


अधीक्षक अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर जिला-रायपुर

// आदेश //

अटल नगर रायपुर, दिनांक 07.03.2019.

क्रमांक एफ 01-02/31/स्था./2015:: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 31.01.2017 एवं 08.05.2017 द्वारा सहायक अभियंता (सिविल) से कार्यपालन अभियंता (सिविल) सृजित सांख्येत्तर पद पर की गई पदोन्नति/पदस्थापना, जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2017 एवं 09.05.2017 से निरस्त की गयी थी।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. (एस) 1006/2015, 1010/2015, 2059/2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर डबल बैंच दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.ए. नं. 409/2013 एवं अन्य में एकजाई पारित आदेश दिनांक 04.02.2019 से निराकृत किये जाने के फलस्वरूप, राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2017 एवं 09.05.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए, विभाग के जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 31.01.2017 एवं 08.05.2017 को निम्नानुसार पुनर्स्थापित करता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद
1	श्री दोहाराम शरणागत, कार्यपालन अभियंता
2	श्री प्रेम प्रकाश खरे, कार्यपालन अभियंता
3	श्री रविन्द्र कुमार पाठक, कार्यपालन अभियंता
4	श्री रामप्रताप अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता
5	श्री वासुदेव नागप्पा, कार्यपालन अभियंता
6	श्री शत्रुघन लाल यादव, कार्यपालन अभियंता (वर्तमान में निलंबित)
7	श्री ए.के. भटनागर, कार्यपालन अभियंता
8	श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता
9	श्री नवीन यू. शाह, कार्यपालन अभियंता, (वर्तमान में सेवानिवृत्त)

2/ दर्शित अभियंताओं की पदस्थापना संबंधी आदेश पृथक से जारी किया जावेगा। शेष सृजित सांख्येत्तर पद के जारी आदेश यथावत् रहेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वृन्दावन सेन) 7/3/2019

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

अटल नगर, रायपुर दिनांक: 07.03.2019.

पृ०क्र. एफ 01-02/31/स्था./2015

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्टार, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, याचिका क्रं. 1006/2015, 1010/2015, 2059/2018 एवं 409/2013 दिनांक 04.02.2019 के संदर्भ में,
2. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, 1006/2015, 1010/2015, 2059/2018 एवं 409/2013 दिनांक 04.02.2019 के संदर्भ में,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
4. मान० मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर,
5. निज सचिव, सचिव/संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर,
6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर,
7. नोडल अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर,
8. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर./अम्बिकापुर,
9. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग,
10. संबंधित अभियंता सर्वश्री द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
11. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

रायपुर 21/3/2019

अवर सचिव 7/3/2019

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग